ई–मेल
संख्या–1904/आठ–3–2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ दिनॉकः 01 सितम्बर 2023**

विषयः–**उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का अनुपालन संबंधी शासनादेश दिनांक 10.04.2023 को अंगीकृत किये जाने संबंधी।**

महोदय,

वैश्विक तथा भारतीय निवेशकों से निवेश आकर्षित करके तथा डाटा सेन्टर उद्योग के स्थानीयकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए एम.एस.एम.ई./स्टार्टअप्स को आकर्षित करके राज्य में एक विश्वस्तरीय डाटा सेन्टर इकोसिस्टम का निर्माण करने के उद्‌देश्य से आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अधिसूचना संख्या–4/2021/1792/78–2–2020/254 एल.सी./2019 दिनांक 28.01.2021 एवं अधिसूचना संख्या–1399/78–2–2022/10(एम)/2021 दिनांक 07.11.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (यथा संशोधन) नीति, 2021 जारी की गयी है।

2– उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (यथा संशोधन) नीति, 2021 के क्रियान्वयन हेतु आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–22/2021/1274/78–2–2020/254 एल.सी./2019 दिनांक 23.09.2021 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुक्रम में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–785/ आठ–3–2023 दिनांक 10.04.2023 द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत अर्ह डाटा सेन्टर पार्क्स और इकाईयों के भवन मानचित्र की अनुज्ञा देते समय नीति के उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

3– प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 के पत्र संख्या–675/78–2–2023–10(एम)/2021 दिनांक 28.07.2023 द्वारा उल्लेख किया गया है कि कतिपय अभिकरणों में उक्त शासनादेश दिनांक 10.04.2023 को अंगीकृत नहीं किया गया है।

4— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के क्रियान्वयन संबंधी उक्त शासनादेश दिनांक 10.04.2023 को तत्काल अंगीकृत कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—1904(1)/आठ—3—2023—तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
(5) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्द्र श्याम मिश्र)
अनु सचिव